

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1807] No. 1807] नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2017/आषाढ़ 7, 1939 NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2017/ASADHA 7, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2017

का.आ. 2029(अ).-प्रारुप अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3550(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2015, को प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, साठ दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, केन्द्रीय सरकार उक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुक्षावों पर द्वारा सम्यक रुप से विचार किया गया:

और, घाटाप्रभा पक्षी अभयारण्य, कर्नाटक सरकार की अधिसूचना सं. एफईई 58 एफडब्ल्यू-एल 96, तारीख 8.7.1999 द्वारा अधिसूचित की गई और बेलगाम जिले के गोकाक तथा हुकेकी में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 29.875 वर्ग किलोमीटर है;

और, यह एक लघु पक्षी अभयारण्य जिसमें घाटाप्रभा नदी का एक भाग है और इसमें 22 से अधिक द्वीप हैं । धूपादल के निकट 1883 के दौरान संनिर्मित बंधारा और बांध ने इसके बीचोंबीच एक विशाल द्वीप वाला जलाश्य उजान सृजित कर दिया है। अभयारण्य के पूर्वोत्तर भाग में अवस्थित गोकाक जल प्रपात मुख्य पर्यटन आकर्षण है;

और, यह द्वीप मार्च महीन के कुछ दिनों को छोड़कर जल से घिरा हुआ होता है और अच्छी रेलें तथा सड़कों के नेटवर्क से जुड़ा है जिसके प्रति बहुत से पर्यटक, पक्षी दर्शक, स्कूल विद्यार्थी आकर्षित होते हैं। यह पक्षी प्राणिजात में विनिर्दिष्ट होने वाली वन्यजीव के संबंध में जन जागृति सृजन के लिए एक सुअवसर प्रदान करता है। यह नदीय पारिस्थितिक-प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है;

3970 GI/2017 (1)

और, अधिकांश द्वीप, जिनमें अभयारण्य हैं, बंजर तथा शुष्क है और उनमें से धुपादल झील के पश्चिमी दिशा एक द्वीप दलदल वाला है और दूसरा द्वीप में बबूल अरेबिका, पिथेस्बॉबियम डुलसी और बम्बुसा अरंडिनसेआ, की अच्छी वृद्धि है, दोनों ही सिन्निविष्ट प्रजातियां हैं। एकासिया एराबाइका और इम्पेरेट सिलन्डारिका विशेष हित की समझी जाती है क्योंकि घोंसला बनाने के लिए अच्छी होती हैं। छोटे जल कौआ (फाइलैकोकोरॉक्स नाइजर), बगुला (एग्रेट्टा गेर्जेट और आर्डियोला अल्बा), बुज्जा (दस्कीइओमिस मेलोनैकफ़ेल), कौडिल्ला (दस्कीइओमिस मेलोनैकफ़ेल), चमरघेंच(सीकोनीडिए), रार्पपक्षी (अर्निगा अनिंगा), फत्तख (आर्डेडाई), आदि जैसे देशज पक्षियों को आश्रय देने के अतिरिक्त यह क्षेत्र डेमाइसेले सारस (ग्रूस वरगा) तथा यूरोपीय स्वेत चमरघेंच (सिसिओना सिकोरिया) जैसे प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें नवम्बर से मार्च तक दर्शन किए गए हैं;

और, घाटाप्रभा पक्षी अभयारण्य, के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो का प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में घाटाप्रभा पक्षी अभयारण्य, की सीमा से विस्तृत क्षेत्र को घाटाप्रभा पक्षी अभयारण्य, पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

- 1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन उत्तर अक्षांश उ.16° 10'29.22 से 16° 10'26.62 और पूर्व देशांतर पू. 74° 48'49.32 से 74° 48'44.62 के बीच तथा उत्तर अक्षांश 16° 11'11.36 से 16° 11'06.88 तक और पूर्व देशांतर 74° 41'28.08 से 74° 41'33.15 के बीच स्थित है और घाटाप्रभा पक्षी अभयारण्य की आसपास की सीमा सहित 300 मीटर के 22.66 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला है और ऐसे जोन का सीमा वर्णन उपाबंध I में दिया गया है।
 - (2) अक्षांश और देशान्तर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध ॥** के रुप में उपाबद्ध है ।
- (3) घाटाप्रभा पक्षी अभयारण्य की सीमा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा की सीमा के प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांक **उपाबंध III** के रुप में उपाबद्ध है।
 - (4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों और आरक्षित वन क्षेत्रों की सूची **उपाबंध IV** में दी गई है।
- 2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना 1. राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
- 2. राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।
- 3. आंचलिक महायोजना, पर्यावरण और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-
 - i. पर्यावरण:
 - ii. वन और वन्यजीव;
 - iii. कृषि ;

- iv. राजस्व;
- v. नगर विकास;
- vi. पर्यटन;
- vii. ग्रामीण विकास;
- viii. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
 - ix. नगरपालिका;
 - x. पंचायती राज:
 - xi. लोक निर्माण विभाग।
- 4. आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी।
- 5. आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- 6. आंचिलक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के मानिचत्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का विवरण किया जाएगा।
- 7. आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिक अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।
- 8. आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-अंतक होगी।
- 9. आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--
- (1) **भू-उपयोग** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा।:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के रूप में लागू होंगे, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है, जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित गृह वास; और
- (v) संवर्धित क्रियाकलाप और अनुच्छेद 4 के अंतर्गत दिया गया है:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अंतर्गत राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

- (ख) जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।
- (2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों या नदियों या जलसरणी की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरुद्भृतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी।
- (3) पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे।
- (ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।
- (ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।
- (घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थातु :-
 - (i) वन्यजीव अभयराण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।
 - (ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिक पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा-संशोधित) के अनुसार होगा।
 - (iii) जब तक आंचलिक महायोजना का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है जब तक पर्यटन संबंधी विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार निगरानी समिति के वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा सिफारिश के आधार पर सम्बंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर कोई नया होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाता है।
- (4) नैसर्गिक विरासत -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।
- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

- (6) **ध्विन प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण का ध्विन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, और उसमें किए गए संशोधनों के अधीन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों 2000 के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।
- (7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।
- (8) **बहिस्नाव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरण प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (9) ठोस अपशिष्ट -- ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--
 - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
 - (ख) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरण स्वीकृत रीति में होगा;
 - (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
 - (10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट** जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—
- (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपिशष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपिशष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
 - (ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
- (11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन:** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) **यानीय परिवहन:** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

- (15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि हैं।
- (16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद या प्रकाशन में, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
 - (ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमित दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा, गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।
- (17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अंतर्गत:
 - (क) आंचिलक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। (ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमित नहीं दी जाएगी।
 - (18) अगर यह आवश्यक समझता है, इस अधिसूचना के उपाबंधों को प्रभावी करने में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, अन्य उपायों निर्दिष्ट करेगा।
- 4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) संशोधनों सहित द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

सारणा					
क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी			
(1)	(2)	(3)			
	<u>क.</u>	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप			
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें			
		और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की			
		घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के			
		लिए मकानों के संन्निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और			
		मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है;			
		(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं.			
		1995 का 202 टी.एन. गोविंदरामन थिरुमूलपाद बनाम भारत			
		सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट			
		याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत			
		सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के			
		कठोर अनुसरण का प्रचालन होगा ।			
2.	प्रदूषण जल या वायु या मृदा या ध्वनि	कोई नया उद्योग या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले			
	कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	उद्योगों के विस्तार की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।			
		पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा			
		फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों			
		को स्थापना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा, जब तक कि इस			

वहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना। जिल्ली परियोजना की स्थापना। किसी परिसंकटसय पदार्थों का उपयोग या या या उपयोग या उपयोग या उपयोग या या या या उपयोग या उपयोग या या या या या या उपयोग या उपयोग या			अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।
स्थापना होंगे किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंकरण होंगे हेंगे	2	बदन जल विदान परियोजना की	लाग विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)
श्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में आपुण्याति विद्या और श्रेत में अनुप्याति विद्या और श्रेत में अनुप्याति विद्या और श्रेत में अनुप्याति विद्या और श्रेत में अपुण्याति विद्या और श्रेत में होंगे। श्रेत अव विकित्सा अपिष्ट के लिए स्थल तथा श्रेस अपिष्ट और अपिष्ट उपचारप्रसंबरण सुविधा और स्थापना। श्रेत अव विकित्सा अपिष्ट के लिए स्थल तथा श्रेस अपिष्ट और अपिष्ट उपचारप्रसंबरण सुविधा की स्थापना। विद्या की सुविधा की स्थापना। विद्या कि स्थापना। विद्या कि स्थापना अरिर क्षेत्र के अवितिक अधिष्ठीमिक प्रक्रिया और स्थापना प्रतिषिद्ध है। एक्सी, कॉर्मोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े स्थापना प्रतिषिद्ध है। एक्सी, कॉर्मोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े स्थापना प्रतिषिद्ध है। पर वाणिज्यक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना। विद्या अपुण्या करितों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपविधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपविधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपविधित के सिवाय) होंगे। जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग। लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपविधित के सिवाय) होंगे। पवन मिलों और मोबाइल टाँवर का लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपविधित के सिवाय) होंगे। पतन मिलों और मोबाइल टाँवर का लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपविधित के सिवाय) होंगे। पत्र मिलों और सोबाइल टाँवर का लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपविधित के सिवाय) होंगे। सत्या पालत। होंगे। स्थापना। कामू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपविधित के सिवाय) होंगे। सत्य पालत। होंगे। स्थापना कामू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपविधित के सिवाय) होंगे। सत्यय पालत। होंगे। स्थापना कामू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपविधित के सिवाय) होंगे। सत्यय पालत। होंगे। स्थापना कामू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपविधित के सिवाय) होंगे। सत्ययपा अधिभोग के विप्य सा सुविधा के सिवाय संरिक्षत के अनुवात नहीं होंगे: परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परेटन क्रियाकलाप महायोजना के अनुरण होगा। स्थापना कोम्यों के अनुसार हों किया सा सुविधा के सिवाय संरिक्षत संवति कोण के प्रति काम्य संरिक्षत के स्थापन महायोजना के अनुरण होगा। स्थापना किया स्वापन हों होंगे। से सुविधा के स्वापन संरि	J.	स्थापना।	होंगे।
5. प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपाचित विह्मिव और ठोस अपिष्टों का निस्सारण। लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। 6. ठोस अपिष्टि निपटान स्थल और ठोस और जैब विकत्सा अपिष्ट के लिए सामान्य भरमीकरण की सुविधा की स्थापना। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नई ठोस अपिष्ट निपटान स्थल तथा ठोस अपिष्ट और अपिष्ट उपचार/प्रसंस्करण सुविधा की अनुज्ञा नहीं है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रक्रिया और स्थापना अपिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भरमीकरण की सुविधा का संस्थापन प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। 8. नई अरा मिलों की स्थापना। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा। 9. ईट भट्टों की स्थापना। पारिस्थितक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा। 10. जलावन लकड़ी का वाणिज्यक उपयोगा। लागू विधियों के अनुसार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। 11. पतन मिलों और मोबाइल टॉवर का निर्माण लागू विधियों के अनुसार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। 12. मत्स्य पालन। खानू विधियों के अनुसार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। 13. होटलों और रिसोटों का स्थापन। खानू विधियों के अनुसार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। 14. सित्य कि का स्थापन। खानू कि कि का सा सुविधा के सिवाय संदक्षित के सिवाय) संविध्य के सिवाय संविध्य के सिवाय संविध्य के सिवाय संविध्य के सिवाय) होंगे। 12.	4.		, ,
अनुपत्रात्तत बहिस्रांव और ठोस अपिष्टों का निस्सारण 6. ठोस अपिष्टों का निस्सारण और जैव विकेत्सा अपिष्ट के लिए सामान्य भरमीकरण की सुविधा की स्थापना। अनुज्ञा नहीं है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठात/प्रतान स्थापना। अनुज्ञा नहीं है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठात/प्रतान सम्प्रिकरण की सुविधा का संस्थापन प्रतिषिद्ध है। स्थापना पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना पारिस्थितिक संवेदी जोन के सीवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे श. वर्ड आरा मिलों की स्थापना पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा पारिस्थितिक संवेदी जोन के पीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा पारिस्थितिक संवेदी जोन के पीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा पारिस्थितिक संवेदी जोन के पीतर नई या विद्यमान औरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा पारिस्थितिक संवेदी जोन के पीतर नई या विद्यमान औरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा पार्र कि सिवाय जोगों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे लागू विधियों के अनुसार प्रतिषद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे लागू विधियों के अनुसार प्रतिषद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे लागू विधियों के अनुसार प्रतिषद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे लागू विधियों के अनुसार प्रतिषद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे लागू विधियों के अनुसार प्रतिषद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे लागू विधियों के अनुसार प्रतिषद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे लागू विधियों के अनुसार प्रतिषद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) लागू विधियों के अनुसार प्रतिषद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) लागू विधियों के अनुसार प्रतिषद्ध (अन्यथा) पर्यविधित के सिवाय प्रतिष्य के सिवाय) लागू विधियों के अनुसार प्रतिषद्ध (अन्यथा) पर्यविधित के सिवाय पर्यविधित	5	ł .	`
6. ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल तथा ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट उपचार/प्रसंस्करण सुविधा की स्थापना। के श्री के विकल्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य भर्मीकरण की सुविधा की स्थापना। अनुजा नहीं है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठात्म/अपगातां आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भरमीकरण की सुविधा का संस्थापन प्रतिषिद्ध है। 7. फर्मों, कॉपॉरेट, कंपनियों द्वारा बड़े ऐमाने पर वाणिज्यिक प्रशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना। स्थानीय जरुरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। 9. ईट भट्टों की स्थापना। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान अरा मिलों का विस्तार अनुजात नहीं होगा। 10. जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग। लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। 11. पवन मिलों और मोबाइल टॉवर का निर्माण लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। 12. मत्स्य पालन। ख. विनियसित क्रियाकलाप 13. होटलों और रिसोटों का स्थापन। ख. विनियसित क्रियाकलाप 13. होटलों और रिसोटों का स्थापन। पारिस्थितिक अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। पत्त प्रतिपद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) स्थापना प्रतिष्दि (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। ख. विन्यसित क्रियां के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। ख. विन्यसित क्रियां क		अनुपचारित बहिर्स्नाव और ठोस	
और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य भस्मीकरण की सुविधा की स्थापना। अवाज कर्मा सुविधा की स्थापना। अवाज कर्मा सुविधा की स्थापना। अवाज कर्मा सुविधा की अनुज्ञा नहीं है। इसके अविरिक्त औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भस्मीकरण की सुविधा का संस्थापन प्रतिषिद्ध है। 7. फर्मों, कॉपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े स्थानीय जरुरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। 8. नई अरा मिलों की स्थापना। पारिस्थितक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुजात नहीं होगा। 9. ईट भट्टों की स्थापना। लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। 10. जलावन लकही का वाणिज्यिक उपयोग। लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। 11. पवन मिलों और मोबाइल टाँवर का लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। 12. मत्य्य पालन। लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। 13. होटलों और रिसोटों का स्थापन। खिलियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। 14. संनिर्माण क्रियाकलाप। 15. होटलों और रिसोटों का स्थापन। खिलियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) के स्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र सीमा के एक किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोट अनुजात नहीं होंगे: परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन महायोजना के अनुरुश होगा। (क) संरवित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरुश होगा। (क) संरवित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरुश होना नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध संतिर्य			
सामान्य भस्मीकरण की सुविधा की स्थापना। स्थापना। स्थापना। स्थापना। स्थापना। स्थापना। स्थापना। स्थापना। स्थापना। स्थापनप्रतिषिद्ध है। स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध है। स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। स्थापन प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। स्थापन करना। स्थाप क्षियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। स्थाप क्षियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। स्थाप विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। स्थाप विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। स्थापन क्षियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। स्थापन क्षियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। स्थापन क्षियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। स्थापन क्षियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। स्थापन क्षियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। स्थापन क्षियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। स्थापन क्षियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। स्थापन क्षियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) स्थापन के अस्थापन के सिवाय कार्य क	6.		
स्थापना। प्रतिष्ठान/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी टोस अपिशष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भस्मीकरण की सुविधा का संस्थापन प्रतिषिद्ध हैं। 7. फर्मों, कॉपॉरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुजात नहीं होगा। 8. नई आरा मिलों की स्थापना। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुजात नहीं होगा। 9. ईट भट्टों की स्थापना करना। लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। 10. जलावन लकड़ी का वाणिज्यक उपयोगा लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। 11. पवन मिलों और मोबाइल टॉवर का लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। 12. मत्स्य पालन। लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। 13. होटलों और रिसोटों का स्थापन। लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। 14. संनिर्माण क्रियाकलाप। पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संवंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र सीमा के एक किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोट अनुजात नहीं होंगे: परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा। (क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यक संनिर्माण अनुजात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध		,	
उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भस्मीकरण की सुविधा का संस्थापन प्रतिषिद्ध है। किसी, कॉपॉरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना। किसी के स्थापना। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुजात नहीं होगा। काण विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग। लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। पवन मिलों और मोबाइल टॉवर का लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। पत्र मिलों और मोबाइल टॉवर का लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। मत्स्य पालन। लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। काण विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। काण विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। काण विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। काण विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। काण विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। काण विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। काण विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। काण विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। काण विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। काण विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। काण विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। काण विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। काण विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। काण विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। काण विधियों के अनुसार प्रतिषद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। काण विधियों के अनुसार प्रतिषद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। काण विधियों के अनुसार प्रतिषद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। काण विधियों के अनुसार प्रतिषद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। काण विधियां के अनुसार प्रतिषद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। काण विधियां क			
संस्थापन प्रतिषिद्ध है। कमों, कॉपॉरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा अंतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। कहें आरा मिलों की स्थापना।			
7. फर्मों, कॉपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना। स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। 8. नई आरा मिलों की स्थापना। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुजात नहीं होगा। 9. ईंट भट्टों की स्थापना करना। लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। 10. जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोगा लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। 11. पवन मिलों और मोबाइल टॉवर का लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। 12. मत्स्य पालन। लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। 13. होटलों और रिसोटों का स्थापन। खा विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। 13. होटलों और रिसोटों का स्थापन। खा विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। 14. होटलों और रिसोटों का स्थापन। पारिस्थितिक अनुकुल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरिधित के सीवाय संपर्यटक क्रिया कलागों या विद्यमान क्रियाकलागों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुस्य होगा। 14. संनिर्माण क्रियाकलाप। (क) संरिक्षत के सापापरिस्थितक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीवाय संरिक्षत के अनुस्य होगा। 14. संनिर्माण क्रियाकलाप। (क) संरिक्षत के अनु			
पैसाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा। 9. ईंट मट्टों की स्थापना करना। लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। 10. जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग। लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। 11. पवन मिलों और मोबाइल टॉवर का लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। 12. मत्स्य पालन। लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। 13. होटलों और रिसोटों का स्थापन। पारिस्थितिक अनुकुल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र सीमा के एक किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे: परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार पर्यटन महायोजान के अनुरुष होगा। 14. संनिर्माण क्रियाकलाप। (क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: 14. पंत्र क्षा के स्थापनीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध	7.	फर्मों. कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बडे	
और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।			**
श्री स्थापना पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।		G	
विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा । 9. ईंट भट्टों की स्थापना करना। लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे । 10. जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग। लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे । 11. पवन मिलों और मोबाइल टॉवर का लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे । 12. मत्स्य पालन। लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे । 13. होटलों और रिसोर्टों का स्थापन । ख. विनियमित क्रियाकलाप संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र सीमा के एक किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे : परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा । 14. संनिर्माण क्रियाकलाप । (क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध	8.	3 3	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का
होंगे			विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
ताणु विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे । प्रवन मिलों और मोबाइल टॉवर का निर्माण लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे । प्रवन मिलों और मोबाइल टॉवर का निर्माण होंगे । लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे । प्रविच्या के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे । ख. विनियमित क्रियाकलाप पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र सीमा के एक किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे : परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा । संनिर्माण क्रियाकलाप । (क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध	9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	, ,
होंगे। 11. पवन मिलों और मोबाइल टॉवर का लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। 12. मत्स्य पालन। लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। ख. विनियमित क्रियाकलाप 13. होटलों और रिसोटों का स्थापन। पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र सीमा के एक किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे: परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा। 14. संनिर्माण क्रियाकलाप। (क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध			
तिर्माण होंगे लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ख. विनियमित क्रियाकलाप गारेस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र सीमा के एक किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे : परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा । 14. संनिर्माण क्रियाकलाप । (क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध	10.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	,,
होंगे। ख. विनियमित क्रियाकलाप 13. होटलों और रिसोर्टों का स्थापन। पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र सीमा के एक किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे: परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा। 14. संनिर्माण क्रियाकलाप। (क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध	11.	*	1 3,
13. होटलों और रिसोर्टों का स्थापन। पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र सीमा के एक किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे: परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा। 14. संनिर्माण क्रियाकलाप। (क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध	12.	मत्स्य पालन।	,,
अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र सीमा के एक किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे: परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा। 14. संनिर्माण क्रियाकलाप। (क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध		ख. चि	वेनियमित क्रियाकलाप
सीमा के एक किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे : परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन कियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा। 14. संनिर्माण क्रियाकलाप। (क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध	13.	होटलों और रिसोर्टों का स्थापन ।	
रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे : परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा । 14. संनिर्माण क्रियाकलाप । (क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध			
परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा। 14. संनिर्माण क्रियाकलाप। (क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध			
और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा। 14. संनिर्माण क्रियाकलाप। (क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध			
क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा। 14. संनिर्माण क्रियाकलाप। (क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध			
महायोजना के अनुरुप होगा। 14. संनिर्माण क्रियाकलाप। (क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध			,
14. संनिर्माण क्रियाकलाप । (क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध			
सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध		richtim daniarium	
संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध	14.	सानमाण क्रियाकलाप ।	
परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध			
· ·			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			परंत स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सचीबद
। क्रियां कलापी सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भीमें में			क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में
संनिर्माण करने की अनुज्ञा भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी।			7,
(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई			(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई
सड़कों का संनिर्माण;			

		(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और
		नवीकरण;
		(iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर केवल गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण;
		(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन जिस में सहायक हो गृह वास; और
		(v) इस अधिसूचना में संवर्धित क्रियाकलापों की सूची :
		परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
15.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
16.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कोई कटाई नहीं होगी।
		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
17.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
19.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों नियमों और विनियमों मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, और उपलब्ध किए जाएंगे ।
20.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संन्निर्माण।	लागू विधियों नियमों और विनियमों मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, और उपलब्ध किए जाएंगे।
21.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित

		होंगे।
24.	स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जलकृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्नाव का निस्सारण को जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित जल बहिर्स्नाव का निस्सारण विनियमित किया जाएगा।
26.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	विनियमित और समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
28.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	पारिस्थितिक-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
32.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
		संवर्धित क्रियाकलाप
33.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रुप से बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पारिस्थितिक-अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	पर्यावरण जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

- 5. निगरानी समिति- (1) केंद्रीय सरकार के द्वारा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत इस अधिसूचना के उपाबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया गया, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:--
- (i) प्रखंड आयुक्त, बेल्लागवी अध्यक्ष ;
- (ii) माननीय विधान सभा सदस्य, अराभावी निर्वाचन क्षेत्र, बेल्लागवी जिला सदस्य;
- (iii) माननीय विधान सभा सदस्य गोकाक निर्वाचन क्षेत्र, बेल्लागवी जिला सदस्य;
- (iv) माननीय विधान सभा सदस्य, हुकेरी निर्वाचन क्षेत्र बेल्लागवी जिला सदस्य;

- (v) पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि -सदस्य;
- (vi) कर्नाटक सरकार के शहरी विकास विभाग का प्रतिनिधि -सदस्य;
- (vii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य;
- (viii) क्षेत्रीय अधिकार, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मैसूर सदस्य;
- (ix) कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ - सदस्य;
- (x) उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, बेल्लागवी जिला, सदस्य;
- (xi) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य सदस्य;
- (xii) उप वन संरक्षक, कावेरी वन्यजीव अभयारण्य, कोलेगल सदस्य सचिव।

*(अन्य बातों के साथ सुसंगत अनुमोदन, यदि अपेक्षित हो, जिसमें कर्नाटक विधान सभा अध्यक्ष से प्राप्त अनुमति भी है, प्राप्त करते हुए कर्नाटक सरकार के अध्यधीन)

6. निर्देश - निबंधन

- (1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सिम्मिलत क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी सिमिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (4) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (5) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (6) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य जीव वार्डन **उपाबंध** V में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।
- (7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

[फा. सं. 25/157/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

<u>उपाबंध l</u>

घाटाप्रभा पक्षी अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं का विवरण


दक्षिण और पूर्व:

सीमा रेखा जिला बेलगाम, ताल्लुक हुक्केरी के घोदगेरी ग्राम के निर्देशांक से पू $74^{\circ}40^{\circ}13.0$ उ $16^{\circ}09^{\circ}50.0$ आरंभ होती है। इसके बाद रेखा घोदगेरी, कोन्नुर, खानापुर, शींगालापुर, गोदचीनमिलकी, गोकक और लोलासुर ग्रामों से होते हुए घाटाप्रभा पक्षी अभयारण्य सीमा के समानांतर 300 मीटर की ओर जाती है।

उत्तर और पश्चिम:

इसके बाद ऊपर के बिंदु से, रेखा हुक्केरी तालुक के ग्रामों लोलासुर, गोकक, शींगालापुर, धुपादल, कोन्नुर, शीरदन और सारापुर, कोटावगी, शीरगांव, अवरगोल, नागिनहल सुल्तानपुर ग्रामों से होते हुए घाटाप्रभा पक्षी अभयारण्य 300 मीटर होते हुए और इसके बाद अंततः आरंभिक बिन्दु से मिलती है।

उपाबंध-II घाटाप्रभा पक्षी अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध III घाटाप्रभा पक्षी अभयारण्य की सीमा पर प्रमुख र्बिंदुओं के भू- निर्देशांकों को दर्शाने वाली सारणी

मानचित्र		देशांतर			अक्षांश			
आई.डी	डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड		
1	74	49	54.66	16	10	42.96		
2	74	48	29.38	16	10	30.72		
3	74	45	54.50	16	11	49.63		
4	74	45	32.69	16	13	5.20		
5	74	44	21.70	16	14	1.68		
6	74	43	25.93	16	14	56.18		
7	74	41	47.08	16	14	45.85		
8	74	41	14.06	16	13	45.95		
9	74	41	22.49	16	13	15.35		
10	74	42	2.09	16	12	21.20		
11	74	41	28.18	16	11	16.37		
12	74	40	15.28	16	10	51.60		
13	74	40	10.13	16	10	25.25		
14	74	40	17.18	16	10	1.74		
15	74	40	34.00	16	10	47.39		
16	74	41	36.10	16	11	1.72		
17	74	42	13.97	16	12	4.21		
18	74	42	3.82	16	12	44.28		
19	74	41	44.66	16	13	31.22		
20	74	42	41.47	16	14	26.45		
21	74	43	58.58	16	13	46.92		
22	74	42	57.06	16	14	20.44		
23	74	42	12.02	16	14	10.32		
24	74	43	15.71	16	14	5.64		
25	74	43	45.16	16	13	40.26		
26	74	44	19.61	16	13	10.31		
27	74	44	46.07	16	12	53.53		
28	74	44	47.51	16	12	43.13		
29	74	45	20.20	16	11	54.56		
30	74	46	20.57	16	11	21.88		

31	74	47	48.23	16	11	13.52
32	74	48	48.28	16	10	18.30
33	74	49	55.96	16	10	38.28
34	74	50	0.31	16	10	46.70

घाटाप्रभा पक्षी अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पर प्रमुख बिंदुओं के भू- निर्देशांक को दर्शाने वाली सारणी

मानचित्र		देशांतर			अक्षांश	
आई.डी	डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड
1	74	40	23.41	16	9	52.13
2	74	40	34.57	16	10	36.41
3	74	41	52.51	16	11	5.28
4	74	42	15.26	16	12	29.99
5	74	41	41.82	16	13	16.03
6	74	42	3.06	16	14	6.61
7	74	42	59.44	16	14	1.25
8	74	43	35.83	16	13	33.13
9	74	44	33.79	16	12	52.38
10	74	44	44.77	16	12	22.07
11	74	45	58.14	16	11	23.75
12	74	47	15.79	16	11	20.98
13	74	47	48.48	16	10	58.62
14	74	48	49.54	16	10	8.69
15	74	50	9.64	16	10	37.70
16	74	50	1.57	16	10	56.32
17	74	48	49.43	16	10	39.40
18	74	47	41.89	16	11	32.64
19	74	45	52.78	16	12	1.08
20	74	45	43.45	16	13	6.89
21	74	44	51.43	16	13	57.94
22	74	43	35.04	16	14	40.81
23	74	42	49.97	16	15	2.92
24	74	41	57.23	16	14	49.20
25	74	40	57.54	16	14	28.43
26	74	41	4.78	16	13	28.16
27	74	40	32.20	16	13	6.20

1						
28	74	41	10.36	16	12	53.75
29	74	41	34.76	16	12	45.90
30	74	41	51.94	16	12	23.69
31	74	41	39.62	16	11	31.02
32	74	41	13.67	16	11	12.41
33	74	40	6.49	16	10	47.42
34	74	40	6.17	16	9	51.66

<u>उपाबंध ।∨</u> घाटाप्रभा पक्षी अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

मानचित्र आई.डी	ग्राम का नाम	तालुक	क्षेत्र हेक्टयर में		अक्षांश			देशांतर		टिप्पणियां
				डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड	1
1	सारापुर	हुक्केरी	137.554	16	14	35.63	74	43	10.13	300 मीटर
2	शिराधान	हुक्केरी	165.78	16	14	9.60	74	43	35.87	300 मीटर
3	कोटाबागी	हुक्केरी	200.143	16	13	31.69	74	41	1.03	300 मीटर
4	धुपादल	गोकाक	43.609	16	12	17.39	74	46	16.97	300 मीटर
5	खानपुर	गोकाक	255.048	16	12	33.12	74	42	13.79	300 मीटर
6	लोलासुर	गोकाक	49.636	16	11	0.31	74	49	28.49	300 मीटर
7	शिरागांव	हुक्केरी	41.754	16	12	24.77	74	40	5.77	300 मीटर
8	कोन्नुर	गोकाक	265.774	16	12	2.77	74	44	23.21	300 मीटर
9	अवारगोल	हुक्केरी	172.231	16	11	13.74	74	41	18.42	300 मीटर
10	सुल्तानपुर	हुक्केरी	96.864	16	11	6.11	74	39	13.21	300 मीटर
11	शिंगलापुर	गोकाक	397.105	16	10	22.98	74	48	31.07	300 मीटर
12	नागानीहाल	हुक्केरी	46.869	16	11	6.18	74	41	6.83	300 मीटर
13	मेलमत्ती	गोकाक	2.924	16	10	35.00	74	48	3.96	300 मीटर
14	गोकाक	गोकाक	213.459	16	11	9.06	74	47	8.81	300 मीटर
15	गोदाछिनामल्की	गोकाक	6.731	16	15	18.72	74	43	27.37	300 मीटर
16	घोदागेरी	हुक्केरी	170.998	16	11	8.05	74	42	0.72	300 मीटर
		कुल:	2266.479							

उपाबंध ∨

पारिस्थितिक संवेदी जोन निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

- 1. बैठकों की संख्या और तिथि।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
- 3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
- 4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
- 5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।

- 6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2017

S.O. 2029(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3550(E), dated the 30th December, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification duly considered by the Central government;

And whereas, Ghataprabha Bird Sanctuary notified vide Government of Karnataka Notification No. FEE 58FWL 96 dated 8.7.1999 and situated in Gokak and Hukkeri Taluks of Belgaum District in the State of Karnataka is spread over an area of 29.875 square kilometers;

And whereas, it is a small bird sanctuary comprising a section of Ghataprabha River and over 22 islands in it and a weir and dam constructed during 1883 near Dhupadal have created a reservoir upstream with a large island in its midst and the Gokak waterfalls located in the eastern part of the Sanctuary is the major tourist attraction;

And whereas, the island surrounded by water throughout the year except few days in March, connected with good network of rail and road attracts many tourists, bird watchers, school children and it gives good opportunity to create awareness among public regarding wildlife to be specific in avifauna and it is a good example of riverine ecosystem;

And whereas, most of the islands that comprise the sanctuary are barren and dry and one of them at western side of Dhupadal Lake is swampy and another has a good growth of *Acacia arabica, Pithecollobium dulce and Bambusa arundianaecia*, both being introduced species and *Acacia arabica* and *Imperate cylindrica* are considered of special interest, as they are good for nesting. Apart from harboring endemic birds like little cormorant (*Phylacrocorox niger*), Egret(*Egretta garzette and Ardeola alba*), Ibis(*Theskiomis melonacphale*), King fisher(*Theskiomis melonacphale*), Storks (*Ciconiidae*), Snake birds (*Anhinga anhinga*), Heron (*Ardeidae*)etc., the area is noted for having attracted migratory birds like Demoiselle Crane (*Grus virgo*) and European White Stork (*Ciconia ciconia*) which have been sighted normally from November to March;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Ghataprabha Bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of Ghataprabha Bird Sanctuary in the State of Karnataka as the Ghataprabha Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

- **1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.**—(1) The Eco-sensitive Zone lies between the North Latitudes N 16° 10'29.22 to 16° 10'26.62 and East longitudes between E 74° 48'49.32' E to 74° 48'44.62 and North Latitudes N 16° 11'11.36 N to 16° 11'06.88 and East longitudes between E 74° 41'28.08 to 74° 41'33.15 and spread over an geographical area of 22.66 square kilometers with an extent of 300 meters all around the boundary of Ghataprabha Bird Sanctuary and the boundary description of such Zone is given in **Annexure-I**.
- (2) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes longitudes is appended as **Annexure II.**
- (3) The Geo Coordinates of major points on the boundary of Ghataprabha Bird Sanctuary and on the boundary of Ecosensitive Zone boundary is appended as **Annexure-III.**

(4) The list of villages and the details of reserved forest areas falling within the Eco-sensitive Zone is given at **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-

- 1. The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.
- 2. The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- **3.** The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Municipal;
 - (x) Panchayati Raj;
 - (xi) Public Works Department.
- 4. The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- 5. The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- 6. The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.
- 7. The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- 8. The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- 9. The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- 3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
 - (1) Landuse.- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as.-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities:
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.
- (3) Tourism/ Eco-tourism.-
- (a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
- (ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Eco-tourism Guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on Eco-tourism.
- (iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Ecosensitive Zone area.
- (4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.
- **(6) Noise pollution.-** Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.
- (7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

- (8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.
- (9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016.
- (b) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Ecosensitive Zone.
- (c) No burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.
- (10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under.-
- (a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.
- (b)No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.
- (11) Plastic Waste Management.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016.
- (12) Construction and Demolition Waste Management. The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.
- (13) E-waste.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
- (14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) Vehicular Pollution.- Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.
- (16) Industrial Units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) Protection of Hill Slopes. The protection of hill slopes shall be as under:-
- (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
- (b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.
- (18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description					
(1)	(2)	(3)					
		A. Prohibited Activities					
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities.					
		(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.					
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil,	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted.					
	Noise, etc.).	Only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.					
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.					
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.					
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.					
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste is permitted within the Eco-sensitive Zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospitals etc. is prohibited.					
7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.					
8.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.					
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.					
10.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.					
11.	Erection of wind mills and mobile towers.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.					
12.	Fishing.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.					

	B. Regulated Activities					
13.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities:				
		Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.				
14.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:				
		Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:-				
		(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.				
		(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities.				
		(iii) small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016.				
		(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and				
		(v) promoted activities listed in this Notification:				
		Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.				
		(b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.				
15.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.				
16.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.				
		(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.				
17.	Collection of Forest produce or Non- Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.				
18.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.				

19.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
21.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
22.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
23.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
24.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
25.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
26.	Commercial extraction of surface and ground water	Regulated under applicable law.
27.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
28.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
29.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
30.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
31.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
32.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
	C	. Promoted Activities
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
	L	

38.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.				
39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.				
40.	Skill Development.	Shall be actively promoted.				
41.	Restoration of Degraded Land/ Forests/Habitat.	Shall be actively promoted.				
42.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.				

- **5. Monitoring Committee.- (1)** In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-
- (i) Regional Commissioner, Belagaavi Chairman;
- (ii) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Arabhavi Constituency, Belagaavi District Member;
- (iii) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Gokak Constituency, Belagaavi District Member;
- (iv) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Hukkeri Constituency, Belagaavi District Member;
- (v) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka -Member;
- (vi) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka -Member;
- (vii) Representative of Non-governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Karnataka for three years-Member;
- (viii) The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysore -Member;
- (ix) One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka for three years -Member.
- (x) Deputy Commissioner or his representative, Belagaavi District —Member;
- (xi) Member, State Biodiversity Board-Member
- (xii)The Deputy Conservator of Forests, Ghataprabha Division, Gokak Member-Secretary.
- *(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)

6. Terms of Reference.-

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro-forma appended at **Annexure-V.**
- (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- **8**. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/157/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE - I

Boundary description of the Eco-sensitive Zone around Ghataprabha Bird Sanctuary.


South and East:

The boundary line starts from the co-ordinate E 74° 40/13.0 N 16° 091 50.0 of Ghodgeri village of Hukkeri Taluk, Belgaum District. Then the line runs 300 meters paralell to the Ghataprabha Bird Sanctuary boundary through Ghodgeri, Konnur, Khanapur, Shingalapur, Godchinmalki, Gokak and Lolasur villages.

North and West:

Then from the above point, the line passes 300 meters parallel to the Ghataprabha Bird Sanctuary through Lolasur, Gokak, Shingalapur, Dhupadal, Shingalapur, Konnur, Shirdan & Sarapur villages of Hukkeri Taluk, Kotabagi, Shirgaon, Awargol, Naginhal Sulthanpur villages and then finally joins the starting point.

ANNEXURE - II Map showing Eco-sensitive Zone around Ghataprabha Bird Sanctuary



 $\underline{\textbf{ANNEXURE-III}}$ Table showing Geo Coordinates of major points on the boundary of Ghataprabha Bird Sanctuary.

		Longitude		Latitude				
Map ID	Degrees	Minutes	Seconds	Degrees	Minutes	Seconds		
1	74	49	54.66	16	10	42.96		
2	74	48	29.38	16	10	30.72		
3	74	45	54.50	16	11	49.63		
4	74	45	32.69	16	13	5.20		
5	74	44	21.70	16	14	1.68		
6	74	43	25.93	16	14	56.18		
7	74	41	47.08	16	14	45.85		
8	74	41	14.06	16	13	45.95		
9	74	41	22.49	16	13	15.35		
10	74	42	2.09	16	12	21.20		
11	74	41	28.18	16	11	16.37		
12	74	40	15.28	16	10	51.60		
13	74	40	10.13	16	10	25.25		
14	74	40	17.18	16	10	1.74		
15	74	40	34.00	16	10	47.39		
16	74	41	36.10	16	11	1.72		
17	74	42	13.97	16	12	4.21		
18	74	42	3.82	16	12	44.28		
19	74	41	44.66	16	13	31.22		
20	74	42	41.47	16	14	26.45		
21	74	43	58.58	16	13	46.92		
22	74	42	57.06	16	14	20.44		
23	74	42	12.02	16	14	10.32		
24	74	43	15.71	16	14	5.64		
25	74	43	45.16	16	13	40.26		
26	74	44	19.61	16	13	10.31		
27	74	44	46.07	16	12	53.53		
28	74	44	47.51	16	12	43.13		
29	74	45	20.20	16	11	54.56		
30	74	46	20.57	16	11	21.88		
31	74	47	48.23	16	11	13.52		
32	74	48	48.28	16	10	18.30		
33	74	49	55.96	16	10	38.28		
34	74	50	0.31	16	10	46.70		

Table showing Geo Coordinates of major points on the boundary of Eco-sensitive Zone around Ghataprabha Bird Sanctuary.

		Longitude			Latitude				
Map ID	Degrees	Minutes	Minutes Seconds		Minutes	Seconds			
1	74	40	23.41	16	9	52.13			
2	74	40	34.57	16	10	36.41			
3	74	41	52.51	16	11	5.28			
4	74	42	15.26	16	12	29.99			
5	74	41	41.82	16	13	16.03			
6	74	42	3.06	16	14	6.61			
7	74	42	59.44	16	14	1.25			
8	74	43	35.83	16	13	33.13			
9	74	44	33.79	16	12	52.38			
10	74	44	44.77	16	12	22.07			
11	74	45	58.14	16	11	23.75			
12	74	47	15.79	16	11	20.98			
13	74	47	48.48	16	10	58.62			
14	74	48	49.54	16	10	8.69			
15	74	50	9.64	16	10	37.70			
16	74	50	1.57	16	10	56.32			
17	74	48	49.43	16	10	39.40			
18	74	47	41.89	16	11	32.64			
19	74	45	52.78	16	12	1.08			
20	74	45	43.45	16	13	6.89			
21	74	44	51.43	16	13	57.94			
22	74	43	35.04	16	14	40.81			
23	74	42	49.97	16	15	2.92			
24	74	41	57.23	16	14	49.20			
25	74	40	57.54	16	14	28.43			
26	74	41	4.78	16	13	28.16			
27	74	40	32.20	16	13	6.20			
28	74	41	10.36	16	12	53.75			
29	74	41	34.76	16	12	45.90			
30	74	41	51.94	16	12	23.69			
31	74	41	39.62	16	11	31.02			
32	74	41	13.67	16	11	12.41			
33	74	40	6.49	16	10	47.42			
34	74	40	6.17	16	9	51.66			

ANNEXURE-IV

List of villages falling within the Eco-sensitive Zone around Ghataprabha Bird Sanctuary.

Map Id	Name of the village	Name of the Taluk	Extent in ha.	Latitude			Longitude			Remarks
				Degrees	Minutes	Seconds	Degrees	Minutes	Seconds	
1	Sarapur	Hukkeri	137.554	16	14	35.63	74	43	10.13	300 meters
2	Shiradhan	Hukkeri	165.78	16	14	9.60	74	43	35.87	300 meters
3	Kotabagi	Hukkeri	200.143	16	13	31.69	74	41	1.03	300 meters
4	Dhupadal	Gokak	43.609	16	12	17.39	74	46	16.97	300 meters
5	Khanapur	Gokak	255.048	16	12	33.12	74	42	13.79	300 meters
6	Lolasur	Gokak	49.636	16	11	0.31	74	49	28.49	300 meters
7	Shiragaon	Hukkeri	41.754	16	12	24.77	74	40	5.77	300 meters
8	Konnur	Gokak	265.774	16	12	2.77	74	44	23.21	300 meters
9	Awargol	Hukkeri	172.231	16	11	13.74	74	41	18.42	300 meters
10	Sulthanpur	Hukkeri	96.864	16	11	6.11	74	39	13.21	300 meters
11	Shingalapur	Gokak	397.105	16	10	22.98	74	48	31.07	300 meters
12	Neganihal	Hukkeri	46.869	16	11	6.18	74	41	6.83	300 meters
13	Melmatti	Gokak	2.924	16	10	35.00	74	48	3.96	300 meters
14	Gokak	Gokak	213.459	16	11	9.06	74	47	8.81	300 meters
15	Godachinama lki	Gokak	6.731	16	15	18.72	74	43	27.37	300 meters
16	Ghodageri	Hukkeri	170.998	16	11	8.05	74	42	0.72	300 meters
		Total:	2266.479							

ANNEXURE - V

Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

- 1. Number and date of meetings:
- 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting on separate Annexure
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan:
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: Details may be attached as Annexure.
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
- 7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986:
- 8. Any other matter of importance: